

अध्याय - VI

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यकलाप

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम का विहंगावलोकन

6.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 31 मार्च 2003 की तरह 31 मार्च 2004 को पाँच सरकारी कंपनियाँ एक सांविधिक निगम तथा एक स्वायत्त निकाय (सभी कार्यरत) थे। सरकारी कंपनियों के लेखा की लेखापरीक्षा (यथा परिभाषित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखे की पूरक लेखापरीक्षा भी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा संचालित की जाती है। सी.ए.जी. विद्युत्, आपूर्ति (वार्षिक लेखे) नियम 1985 के नियम 14 के साथ पठित विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 185 (2) (घ) तथा विद्युत् अधिनियम 2003 की धारा 104 (2) के अधीन झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग का एकमात्र लेखा परीक्षक है।

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पी.एस.यू.)

कार्यरत पी एस यू में निवेश

6.1.2 इन छः पी.एस.यू. में कुल निवेश (पाँच सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम क्रमशः मार्च 2003 एवं मार्च 2004 के अन्त में) निम्नलिखित था :-

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | पी.एस.यू. की संख्या | पी. एस.यू. में निवेश | | | |
|---------|------------------------|----------------------|-------------------|---------|---------------------|
| | | इक्विटी | अंश आवेदन राशि | ऋण | कुल |
| 2002-03 | 6 | 7.23 | 0.02 | 343.25* | 350.50 |
| 2003-04 | 6 | 7.25 | 0.05 | 493.84 | 501.14 [^] |


* अभी प्रस्तुत किए गए ब्यौरे पर आधारित, 2002-03 के दौरान जे.एस.ई.बी. द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त किए गए 151 करोड़ रुपये के ऋण को शामिल किया गया है, अतः पिछले वर्ष के आँकड़े पुनरीक्षित किए गए हैं।

[^] वित्त लेखे के अनुसार आँकड़ा 573.01 करोड़ रुपये है, अंतर समाशोधन के क्रम में है।

कार्यरत सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम में प्रक्षेत्रवार निवेश


6.1.3 मार्च 2003 और मार्च 2004 के अन्त में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश (इक्विटी और दीर्घावधि ऋण) की प्रतिशतता निम्नलिखित वृत्त चार्ट में दर्शायी गयी है।

(करोड़ रुपये में)



31 मार्च 2003 को सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम में निवेश
(कोष्ठकों में दिए गए आँकड़ें निवेश की प्रतिशतता हैं।)

(करोड़ रुपये में)



कार्यरत सरकारी कंपनियाँ

6.1.4 मार्च 2003 एवं मार्च 2004 के अंत में पाँच कार्यरत सरकारी कंपनियों में कुल निवेश निम्नलिखित था :-

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | सरकारी कंपनियों की संख्या | कार्यरत कंपनियों में निवेश | | | |
|---------|---------------------------|----------------------------|----------------|------|---------|
| | | इक्विटी | अंश आवेदन राशि | ऋण | कुल |
| 2002-03 | 5 | 7.23 | 0.02 | 5.25 | 12.50 |
| 2003-04 | 5 | 7.25 | 0.05 | 5.25 | 12.55 * |

इन सरकारी कंपनियों में इक्विटी एवं ऋण के रूप में सरकारी निवेश की स्थिति की सारांशीकृत स्थिति के ब्यौरे **परिशिष्ट XXIV** में दिये गये हैं।

31 मार्च 2003 और 31 मार्च 2004 को इन सरकारी कंपनियों में कुल निवेश के अंतर्गत 58 प्रतिशत इक्विटी पूँजी तथा 42 प्रतिशत ऋण शामिल थे।

कार्यरत सांविधिक निगम

6.1.5 एक कार्यरत सांविधिक निगम (झारखण्ड राज्य विद्युत् परिषद) में मार्च 2003 एवं मार्च 2004 के अंत में कुल निवेश बिहार राज्य विद्युत् परिषद और झारखण्ड राज्य विद्युत् परिषद के मध्य परिसम्पत्तियों और दायित्वों के संविभाजन नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं था। तथापि 2002-03 एवं 2003-04 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण क्रमशः 151 करोड़ रुपये और 103.59 करोड़ रुपये थे। 31 मार्च 2003 को 187 करोड़ रुपये (राज्य सरकार: 187 करोड़ रुपये, अन्य: शून्य) के विरुद्ध 31 मार्च 2004 को 488.59 करोड़ रुपये (राज्य सरकार: 441.59 करोड़ रुपये, अन्य 47 करोड़ रुपये) के ऋण का बकाया था।

बजट के जावक, अनुदान/सहाय्य, प्रतिभूतियों, देयताओं का अधित्याग एवं ऋणों का इक्विटी में रूपान्तर

6.1.6 सरकारी कार्यरत कंपनियों, सांविधिक निगम तथा स्वायत्त निकाय के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बजट के जावक, अनुदान/सहाय्य, निर्गमित प्रतिभूतियों, देयताओं का अधित्याग और ऋणों को इक्विटी में रूपांतरण के ब्यौरे **परिशिष्ट-XXIV और XXVI** में दिए गए हैं।

2002-03 और 2003-04 के लिए राज्य सरकार की ओर से कार्यरत सरकारी कंपनियाँ, सांविधिक निगम और स्वायत्त निकाय के बजट के जावक (इक्विटी पूँजी और ऋणों के रूप में) नीचे दिए गए हैं :-

* वित्त लेखे के अनुसार आँकड़े 2.00 करोड़ हैं, अंतर समाशोधन के क्रम में है।

(करोड़ रुपये में)

| | 2002-03 | | | | | | 2003-04 | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|-------|----------|-------------|----------|---------------|----------------|-------------|
| | कंपनियां | | निगम | | स्वायत्त निकाय | | कंपनियाँ | | निगम | | स्वायत्त निकाय | |
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| बजट से इक्विटी पूँजी जावक | 1 | 0.25 | - | शून्य | - | शून्य | 1 | 0.05 | - | शून्य | - | शून्य |
| बजट से दिये गये ऋण | - | शून्य | 1 | 151.00 | - | शून्य | - | शून्य | 1 | 103.59 | - | शून्य |
| अन्य अनुदान/अर्थ सहाय्य | - | शून्य | 1 | 142.46 | - | शून्य | - | शून्य | 1 | 95.39 | 1 | 0.70 |
| कुल जावक | 1 | 0.25 | 2 | 293.46 | - | - | 1 | 0.05 | 2 | 198.98 | 1 | 0.70 |

2003-04 के दौरान सरकार ने कोई भी प्रतिभूति नहीं दी।

पी.एस.यू. द्वारा लेखे का समापन

6.1.7 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 230 एवं 619 के साथ पठित नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखे का समापन उस वित्तीय वर्ष के अंत से छः महीने के भीतर होना है। उन्हें विधान मंडल में वित्तीय वर्ष के अंत से नौ महीने के भीतर प्रस्तुत भी करना है। इसी प्रकार, सांविधिक निगम के मामले में लेखा, विद्युत् अधिनियम 2003 की धारा 185 (2) (घ) के प्रावधानों के अनुसार समापित, लेखापरीक्षित और विधानमंडल में प्रस्तुत होना है।

जैसा कि **परिशिष्ट- XXV** से परिलक्षित होता है, पाँच सरकारी कंपनियों, एक सांविधिक निगम एवं एक स्वायत्त निकाय में से केवल एक कंपनी ही निर्धारित अवधि के भीतर वर्ष 2002-03 तथा वर्ष 2003-04 के लिए अपना लेखा प्रस्तुत कर सकी तथा दो कंपनियाँ निर्धारित अवधि के 12 महीने विलंब से वर्ष 2002-03 के लिए अपना लेखा प्रस्तुत कर पाईं। दो सरकारी कंपनियों के लेखे दो वर्षों के लिए तथा दो अन्य सरकारी कंपनियों के लेखे एक वर्ष के लिए बकाये थे। 30 सितंबर 2004 को सांविधिक निगम और स्वायत्त निकाय के लेखे क्रमशः तीन वर्ष तथा एक वर्ष के लिए बकाये थे।

यद्यपि संबंधित प्रशासनिक विभागों और राज्य सरकार के अधिकारियों को लेखे के समापन के बकाये के संबंध में महालेखाकार द्वारा सतर्क किया गया था, सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गए हैं, परिणामस्वरूप पी एस यू की शुद्ध परिसम्पति का निर्धारण नहीं किया जा सका।

वित्तीय स्थिति और पी.एस.यू. के कार्यरत परिणाम

6.1.8 कार्यरत पी.एस.यू. (सरकारी कंपनियाँ और सांविधिक निगम) के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम उनके अद्यतन अंतिम लेखे के अनुसार **परिशिष्ट- XXV** में दिए गए हैं।

अद्यतन समापित लेखे के अनुसार, तीन कार्यरत सरकारी कम्पनियों ने कुल 3.15 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

6.1.9 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 (पूर्व में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 द्वारा जिसे रद्द कर दिया गया है) के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग (आयोग) की स्थापना की है तथा आयोग ने 24 अप्रैल 2003 से काम करना शुरू किया। आयोग ने वर्ष 2003-04 के दौरान आठ विनियमन जारी किया।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रत्युत्तर

6.1.10 लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियाँ जिनका निष्पादन स्थल पर नहीं किया गया हो, उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदनों के द्वारा पी.एस.यू. के प्रमुख और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को सूचित किया जाता है। पी.एस.यू. के प्रमुखों को विभाग के सम्बन्धित प्रमुखों के माध्यम से छः सप्ताह की अवधि के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन का उत्तर प्रस्तुत करना है। झारखण्ड राज्य विद्युत् परिषद से संबंधित मार्च 2004 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह पता चला कि मार्च 2004 के अंत तक 730 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 712 कंडिकाएँ लंबित थीं (जैसा कि **परिशिष्ट-XXVII**) में दिया गया है।

इसी प्रकार, पी.एस.यू. के क्रियाकलाप पर प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव को तथ्यों तथा आँकड़ों की संपुष्टि प्राप्त करने तथा उनपर उनकी टिप्पणी जानने के लिए छः सप्ताह की अवधि के भीतर अर्द्धसरकारी पत्र द्वारा अग्रसारित किया जाता है। तथापि, यह देखा गया कि ऊर्जा विभाग को जुलाई, नवम्बर एवं दिसम्बर 2004 के दौरान दो प्रारूप कंडिकाएँ प्रेषित की गयी थीं जिनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) वैसे अधिकारियों को जो निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर निर्धारित समयावधि में भेजने में विफल रहे हों, के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान हो (ख) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली के लिए समयबद्ध सीमा के भीतर कार्रवाई की जाए और (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर देने की प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाए।

लोक उपक्रमों पर समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर वार्ता की स्थिति

6.1.11 30 सितंबर 2004 को कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर वार्ता, कोपू में वार्ता हेतु लम्बित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की स्थिति इस प्रकार थी:-

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या | | वार्ता के लिए लंबित समीक्षा/ कंडिकाओं की संख्या | |
|-------------------------------|---|--------|---|--------|
| | समीक्षा | कंडिका | समीक्षा | कंडिका |
| 2001-02 | शून्य | 1 | शून्य | 1 |
| 2002-03 | शून्य | 1 | शून्य | 1 |

अनुभाग -ख

6.2 पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, झारखण्ड राज्य विद्युत् परिषद, में जल मापकों की अधिप्राप्ति एवं बिना अधिष्ठापना के रखे जाने से 17.71 लाख रुपये तक की निधियों का अवरोधन

पावर हाऊस और पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) की आवासीय कॉलोनी में जल की खपत को मापने के उद्देश्य से सर्वश्री वाटर सिण्डीकेट एंड सिस्टम (बिक्रेता) कोलकाता को 60 दिनों के भीतर शीघ्र आपूर्ति के लिए पाँच जल मापक फ्रेंज टाइप फिल्टर डर्ट बॉक्स युक्त जल मापकों का क्रयादेश (अगस्त 2001) कर को छोड़कर 21.18 लाख रुपये की कुल लागत पर दिया गया। क्रयादेश में अन्य बातों के साथ-साथ भुगतान एवं सुरक्षा शर्तें भी थीं जिसमें सुपुर्दगी के विरुद्ध 90 प्रतिशत भुगतान प्रतिष्ठापन और उपकरणों की सफलतापूर्वक स्थापना के बाद 10 प्रतिशत तथा प्रतिष्ठापन के लिए कोई भी अतिरिक्त भुगतान देय नहीं था। यह खराब कार्य, दोषपूर्ण सामग्री तथा असंतोषजनक सेवा के विरुद्ध प्रतिष्ठापित होने के 12 महीने तक की अथवा अंतिम प्रेषण की प्राप्ति की तिथि से 18 महीने की गारंटी भी देता था।

सहायक उपकरणों के साथ जलमापक जिसकी आपूर्ति (दिसंबर 2001) बिक्रेता द्वारा 17.71 लाख रुपये (बैंक प्रतिभूति की राशि 2.12 लाख रुपये काटकर) के भुगतान (नवम्बर 2001) पर की गयी, स्टोर में खुले में पड़ा था। गारन्टी अवधि के भीतर प्रतिष्ठापन नहीं होने के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर (दिसंबर 2003) के बारे में प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2003) कि चूँकि स्थल अभियंता ने आदिनांक माल की जाँच तक नहीं की अतः स्टोर में अनुपयोगी रूप में पड़ा था।

लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि पी.टी.पी.एस. के कई बार अनुरोध करने के बावजूद बिक्रेता ने जल मापकों का प्रतिष्ठापन नहीं किया। इस प्रकार, जल मापक जिसे अविलंब आवश्यकता के रूप में क्रय किया गया था, का प्रतिष्ठापन नहीं हुआ तथा उपयोग में नहीं लाया गया था (जून 2004)। क्रय आदेश के अनुसार प्रतिभूति खत्म हो चुकी थी, और फलतः बिक्रेताओं का दायित्व भी समाप्त हो गया था जिससे सामग्री के क्रय का मूल उद्देश्य विफल हो गया। इसके अतिरिक्त 17.71 लाख रुपये की निधियों का अवरोधन हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई और नवंबर 2004); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मई 2005)।

6.3 पतरातू थर्मल पावर, झारखण्ड राज्य विद्युत् परिषद द्वारा 14.50 लाख रुपये खर्च कर विद्यमान सुविधा की मरम्मत में ढिलाई बरतने से 1.93 करोड़ रुपये के विलंब शुल्क पर परिहार्य व्यय

पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत् परिषद (बिहार राज्य के विभाजन के बाद 20 मार्च 2001 से झारखण्ड राज्य विद्युत् परिषद नाम दिया गया) ने अक्टूबर 1995 के दौरान, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) के बैगन टिप्लर (नं. 3) में परिवर्द्धन/सुधार कार्य शुरू करने में देरी करने के कारण विलंब शुल्क के रूप में 21.99 लाख रुपये दिए थे। यह वर्ष 1998 को अंत होने वाले बिहार सरकार के नियंत्रक महालेखापरीक्षक संख्या 5 (वाणिज्यिक) के प्रतिवेदन की कंडिका (4 ख 1.4-श्रम और विलंब शुल्क पर परिहार्य व्यय) में उल्लिखित था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जनवरी 2004) कि पी.टी.पी.एस. ने परिवर्द्धन/सुधार कार्य में पुनः देरी की और भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड (एच.ई.सी.) को 14.50 लाख रुपये की लागत पर 21 महीने के विलंब से कार्यादेश दिया (जून 2000)। कार्यादेश में अन्य बातों के साथ - साथ एच.ई.सी. को विद्युतीय नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए तथा फ़ैब्रिकेशन आदि में ढाँचागत इस्पात के लिए जरूरी सभी विद्युतीय एवं यांत्रिक सामग्रियाँ परिषद द्वारा मुफ्त उपलब्ध करायी जानी थी। कार्य को चार महीने के भीतर अर्थात्, अक्टूबर 2000 से पहले पूरा करना था। कार्य स्थल के हस्तांतरण करने में विलंब, ढाँचागत इस्पात, यांत्रिक और विद्युतीय सामग्रियों आदि की आपूर्ति न होने के कारण काम में पुनः 31 महीने का विलंब हुआ। इस प्रकार, यांत्रिक कार्य मई 2003 तक पूरा हो सका। लेकिन एच.ई.सी. को विद्युतीय पैनल उपलब्ध न कराने के कारण बैगन टिप्लर (नं. 3) चालू नहीं किया जा सका (जून 2004) यद्यपि उसने 0.48 लाख रुपये की लागत से विद्युतीय पैनल आदि की आपूर्ति के लिए पेशकश की थी (अक्टूबर 2002) जिसके लिए परिषद ने विद्युतीय पैनल की आपूर्ति के कार्यादेश में संशोधन अब तक (जून 2004) जारी नहीं किया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पी.टी.पी.एस. ने रेलवे को 1998 से 2004 तक के लिए 1.93 करोड़ रुपये का विलंब शुल्क का भुगतान किया था (जनवरी 2002 से मई 2004) जिसमें बैगन टिप्लर नं. 1 और 2 के लिए भी विलंब शुल्क सम्मिलित था।

लेखा परीक्षा में बताये जाने पर प्रबंधन ने अनेक स्मारों के बावजूद मरम्मत तथा सुधार के लिए समय से आवश्यक सामग्रियों की अस्थायी सूची की आपूर्ति न करने के लिए एच ई सी को दोषी ठहराया । पुनः एच ई सी ने अक्टूबर 2002 में उपलब्ध कराये जाने वाले विद्युतीय पैनल की सूची बिना किसी विवरण के सौंप दी थी और उन्होंने लागत की विवरणी भेजने में लगभग एक वर्ष का समय लगा दिया । उपर्युक्त विद्युतीय पैनल उपलब्ध कराना अभी भी विचाराधीन था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एच.ई.सी. को समय पर स्पष्ट स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया था और पी.टी.पी.एस. द्वारा ढाँचागत इस्पात और यांत्रिक सामग्रियाँ उपलब्ध कराने में विलम्ब हुआ था।

तदन्तर, विद्युतीय पैनल उपलब्ध कराना अभी भी विचाराधीन है। इस प्रकार, वर्तमान सुविधा की मरम्मत करने में परिषद की ओर से बरती गयी ढिलाई के कारण 1.93 करोड़ रुपये (मार्च 2004) विलंब शुल्क के रूप में परिहार्य व्यय किया, जिसे परिहारित किया जा सकता था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई एवं दिसंबर 2004); अभी तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005)।

राँची
दिनांक

(के.के. श्रीवास्तव)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक